भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3241

08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय पोलियो निगरानी कार्यक्रम

†3241. श्रीमती कमलजीत सहरावतः
श्री कंवर सिंह तंवरः
श्री विनोद लखमशी चावड़ाः
श्री खगेन मुर्मुः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पोलियो निगरानी कार्यक्रम (एनपीएसपी) को वापस लेने या उसके स्तर को कम करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस निर्णय के पीछे क्या कारण और औचित्य हैं तथा इसे वापस लेने की समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या भारत के पोलियो मुक्त दर्जे पर इस तरह के कदम के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए कोई जोखिम मूल्यांकन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त कार्यक्रम के अभाव में निरंतर निगरानी और टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए कोई वैकल्पिक तंत्र, यदि कोई हो, प्रस्तावित किया जा रहा है; और

(ङ) क्या सरकार ने इस निर्णय पर पहुँचने से पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से परामर्श किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी), राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र देश में रोग निगरानी के लिए नोडल एजेंसी है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न टीका-निवार्य और गैर-टीका-निवार्य रोगों के लिए रोग निगरानी प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं, जो डिजिटल निगरानी तंत्र और प्रयोगशाला नेटवर्क द्वारा समर्थित है और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त भी हैं। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निगरानी कार्यकलापों के प्रभावी प्रबंधन के लिए रोग निगरानी दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रियाएँ (एसओपी) पहले से ही लागू हैं।

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आत्मनिर्भर घरेलू रोग निगरानी प्रणाली विश्व स्वास्थ्य संगठन - राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सहायता नेटवर्क (डब्ल्यूएचओ-एनपीएसएन) के संबंधित कार्यकलापों के अनुरूप है। डब्ल्यूएचओ-एनपीएसएन द्वारा समर्थित निरंतर शैक्षणिक और तकनीकी प्रशिक्षण कार्यकलापों के माध्यम से तकनीकी ज्ञान का अद्यतनीकरण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की घरेलू रोग निगरानी क्षमताओं को सुदृढ़ करता है।

डब्ल्यूएचओ-एनपीएसएन को वापस लेने की समय-सीमा मार्च 2027 के अंत तक है।

*****